छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
:: आदेश ::

नया रायपुर दिनांक 30 /6/2016.

क्रमांकएफ 7–38/2016/32::इस विभाग का आदेश क्रमांक 2038/1521/2016/32 दिनांक 28.05.2016 जो भवनों को तीन श्रेणियों मे विभाजित करते हुए, भवनों के निर्माण की अनुज्ञा, पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र के निरीक्षण के लिए स्थल निरीक्षण हेतु, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 73 (1) के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्वांत प्रसारित करने संबंधी है, उक्त निर्देश की कंडिका 1 (तीन) (1) (2) एवं (3) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

(1) कम जोखिम वाले भवनों की दशा में स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र के साथ एक बार प्लीथ लेबल पर संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जावेगा।

(2) मध्यम जोखिम वाले भवनों में वास्तुविद्/इंजीनियर के द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र के साथ एक बार संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जावेगा ।

(3) उच्च जोखिम वाले भवनों की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 34 के अनुसार विहित स्तर पर एक बार संयुक्त स्थल निरीक्षण आवश्यक होगा ।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

30/6/16

(जी.एल.सांकला)
अवर सचिव

क्रमांक एफ 7–38/2016/32 नया रायपुर, दिनांक 30/06/2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
3. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30/6/16

अवर सचिव

- 42 -D:\Baruaa-2016\bhumi vikas f-7-18.2015

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
छत्तीसगढ़, रायपुर
दिनांक 30 JUN 2016

आवक क्रमांक 673
दिनांक 30/06/16